कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन,

लखनऊ

निजी कालेजों के प्रबन्धकों को विशेष दिशा–निर्देश

संख्या–एम0ई0–3/2016/2796 लखनऊः दिनांकः **27 सितम्बर 2016**

शासनादेश संख्या–3688(5)/71–2–2016/81/2016 दिनांक 27 सितम्बर 2016, जो वेबसाईटwww.updgme.in पर उपलब्ध है, में निहित निर्देशानुसार निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत हैं:–

- प्रत्येक कालेज द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टेलीमेडिसिन सेन्टर, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में दिनांक 28, 29 तथा 30 सितम्बर 2016 को अपने आवंटित स्थल पर कैम्प कार्यालय संचालित की जायेगी, जिसमें 01 प्रधानाचार्य/डीन/वरिष्ठ फैकल्टी एवं 01 प्रशासनिक प्रभारी अवश्य उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु 01 अतिरिक्त कर्मचारी कैम्प कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। **प्रत्येक कालेज से यह अपेक्षा है कि अपने कैम्प कार्यालय में न्यूनतम 01 लैपटॉप के साथ उपस्थित हों।** अन्य अवस्थापना संबंधी सुविधायें काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

- निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रत्येक कालेज को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड प्रारम्भ होने के पूर्व रिक्त/अवशेष अप्रवेशित सीटों की अद्यतन सूचना काउंसिलिंग बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

- प्रत्येक कालेज द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने कालेज के सम्बन्ध में सम्पूर्ण शुल्क विवरण तथा प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त अभिलेख/न्यूनतम धनराशि इत्यादि की सूचना काउंसिलिंग बोर्ड को उपलब्ध कराई गयी हो।

- उपरोक्त सूचना के अभाव में काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सम्बन्धित कालेज की काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करायी जायेगी।

काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होंगी:–

- द्वितीय चक्र एवं मॉपअप राउण्ड हेत ऐसे समस्त छात्र/अभ्यर्थी अर्ह हैं, जिन्होने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उत्तर प्रदेश के निजी कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं।

- समस्त छात्रों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के टेलीमेडिसिन सेन्टर पर दिनांक 28.9.2016 एवं 29.9.2016 (प्रातः 11:30 बजे तक) किसी भी समय उपस्थित होते हुये अपना काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

- छात्रों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु शुल्क रू0 800/-(रूपये आठ सौ मात्र) का भुगतान करना होगा। भुगतान हेतु समस्त सुविधायें टेलीमेडिसिन सेन्टर, लखनऊ पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

- काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान करने के पश्चात छात्र को अपने इच्छानुसार किन्ही 05 (अधिकतम) कालेजों के कैम्प कार्यालय में जाकर उस कालेज में प्रवेश हेतु अपना पंजीकरण कराया जाना होगा। पंजीकरण के समय छात्रों को नीट अनुक्रमांक प्रस्तुत करना होगा।

- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु धरोहर धनराशि के रूप में रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के नाम से (लखनऊ में देय) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 29.9.2016 को पूर्वान्ह 11:30 बजे के पूर्व जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट उपलब्ध न होने की दशा में आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

- दिनांक 29.9.2016 प्रातः 11:30 बजे तक किये गये समस्त पंजीकरणों के आधार पर उस दिन अपरान्ह 12:00 बजे कालेजवार मेरिट सूची प्रकाशित की जायेगी। यह मेरिट सूची नीट रैंक के आधार पर तैयार की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस कालेज हेतु आवेदित/पंजीकृत समस्त छात्रों का पारस्परिक क्रम नीट रैंक के अनुसार ही होगी।

- प्रकाशित मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 29.9.2016 के अपरान्ह 12:00 से सायं 6:00 बजे तक कालेजवार काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

- प्रवेश के समय छात्र को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

- प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु समस्त अभिलेखों की मूल प्रति, धरोहर धनराशि तथा प्रवेश हेतु आवश्यक सम्पूर्ण शुल्क की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

- एक से अधिक कालेजों की मेरिट सूची में सम्मिलित होने की दशा में छात्र अपने स्वेच्छा पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये सम्बन्धित कालेज के कैम्प कार्यालय में अपनी काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु उपस्थित हो सकता है।

- सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर काउंसिलिंग बोर्ड के प्रतिनिधि की संस्तुति पर आवंटन–कम–प्रवेश पत्र निर्गत की जायेगी, जिसकी एक प्रति छात्र को, एक प्रति संस्थान को एवं एक प्रति डी0जी0एम0ई0 कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

- यही प्रक्रिया निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दिनांक 30.9.2016 को मॉपअप राउण्ड हेतु अपनाई जायेगी।

- प्रथम चक्र में जिन छात्रों को आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु प्रवेश सम्भव नहीं हो पाया है, वह भी द्वितीय चक्र में तथा मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते हैं।

- प्रवेश के समय छात्रों को यह सुविधा दी गई है कि समयाभाव के दृष्टिगत शैक्षणिक शुल्क का भुगतान किसी कालेज विशेष के नाम के डिमाण्ड ड्राफ्ट से न करते हुये शासनादेश द्वारा निर्धारित अन्तरिम शुल्क/अन्य निर्धारित शुल्क का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के नाम से (लखनऊ में देय) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही सम्बन्धित कालेज द्वारा नकद भुगतान स्वीकृत करने की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई धनराशि का समायोजन सम्बन्धित कालेज में उस छात्र के सापेक्ष कर ली जायेगी।

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।